

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

—:: अधिसूचना ::—

क्रमांक / 5308/भू-अर्जन/2025

कोरबा, दिनांक 28/04/2025

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इगलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : दीपका
3. ग्राम/नगर : कटकीडबरी
4. भूमि का क्षेत्रफल: 1.319 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. मे)	खसरा नंबर	रकबा (हे. मे)
359/4	0.012	416/4	0.053
359/1	0.012	372/2	0.004
359/2	0.012	417/3	0.081
363/2	0.010	370	0.121
360/1	0.016	371	0.026
360/3	0.012	417/2	0.028
414	0.048	409/1	0.120
363/3	0.037	404	0.012
369/1	0.029	405	0.036
361/1	0.032	390	0.024
362/1	0.016	392/1	0.085
412/1	0.129	408/1	0.014
415/2	0.020	388	0.040
412/3	0.097	412/2	0.036
415/3	0.061	406	0.096
योग :-	कुल खसरा नं. - 30, कुल रकबा - 1.319 हे.		


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)


(अजीत वसंत)
कलेक्टर,
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग